मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

कमांक 865 / 21—ब(दो), भोपाल,दिनांक 21 / 02 / 2023

प्रति,

प्रमुख सचिव,
म0प्र0 विधान सभा सचिवालय,
भोपाल.

विषयः— **विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक—925, दिनांक 23.12.2022 अपूर्ण उत्तर के पूर्ण उत्तर के संबंध में।**

———00———

उपरोक्त विषयक **विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक—925, दिनांक 23.12.2022** का अंतरिम उत्तर दिनांक 16 / 12 / 2022 को ऑनलाईन भेजा गया था। अब पूर्ण उत्तर पृथक से वितरण करने हेतु 100 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

24/02/2023

(राघवेन्द्र भारद्वाज)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन कमांक 865 / 21—ब(दो) भोपाल, दिनांक 21 / 02 / 2023

प्रतिलिपिः—

श्री राजेश गुप्ता, अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, भोपाल, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(राघवेन्द्र भारद्वाज)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

सत्र-दिसम्बर, 2022

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **16/12/2022**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **23/12/2022** विभाग का नाम : **विधि एवं विधायी कार्य**

विषय : **विधानसभा प्रश्न क्र. 1399, दिनांक 29.07.2022 के संबंध में**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **925**) **श्रीसंजय यादव**

क्या **गृह मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) विधानसभा प्रश्न क्र. 1399, दिनांक 29.07.2022 के संबंध में बरगी सिविल कोर्ट के लिये न्यायालय भवन/न्यायाधीशों आवास हेतु शासन द्वारा आवंटित शासकीय भूमि को कार्यालय नायब तहसीलदार बरगी, जबलपुर द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा दिया है ? यदि हाँ तो कब? (ख) क्या अतिक्रमण मुक्त भूमि का आधिपत्य जिला न्यायालय जबलपुर द्वारा प्राप्त कर लिया गया है?यदि नही तो क्यों नहीं एवं कब तक भूमि का आधिपत्य प्राप्त किया जावेगा? (ग) विधानसभा प्रश्न क्र. 1399, दिनांक 29.07.2022 के उत्तरांश 'ध' में इस प्रश्न का जवाब शासन द्वारा दिया जा सकता है दर्शाया है कृपया बताये की क्या उत्तरकर्ता शासन की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्या इस प्रकार विधानसभा को भी गुमराह किया जा रहा है? (घ) प्रश्नकर्ता द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव को प्रेषित पत्र 57/भोपाल/22, दिनांक 21.05.22 द्वारा मांगी गई जानकारी प्रश्न दिनांक तक क्यों नहीं दी गई? समय सीमा में उक्त जानकारी देने की किसकी जवाबदेही है? उक्त जवाबदेह अधिकारी पर नियमानुसार क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

विधि मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्र

(क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। निश्चित समय सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी हॉ। जी नहीं। **(घ)** विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 1596/2022/21-ब(एक), दिनांक 30.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(अनिल कुमार शर्मा)
स्टॉफ ऑफिसर (संविदा)
म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

(ANIL SHARMA)
Staff Officer
Govt. of M.P.
Law & Legislative Affairs Deptt.
BHOPAL